

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7076/2018

होटल माया इंटरनेशनल, जयपुर, अपने प्रबंधक श्री एम.पी. शर्मा पुत्र श्री बी.आर. शर्मा के माध्यम से, निवासी ए-1 जय सिंह हाईवे, बनी पार्क, जयपुर।

---याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
- सचिव, शहरी विकास आवास और स्वायत्त शासन विभाग।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर।
- अधिशाली अधिकारी, विद्याधर जोन, जयपुर नगर निगम, जयपुर।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए : श्री योगेश पुजारी,
श्री मनोज कुमार शर्मा,
श्री जे.पी. गुर्जर,
श्री डी.पी. पुजारी के लिए।

प्रतिवादी के लिए : श्री भरत व्यास, वरिष्ठ अधिवक्ता
अतिरिक्त महाधिवक्ता,
सुश्री प्रत्युशी मेहता के साथ;
श्री आलोकगर्ग,
सुश्री सोनल सिंह के साथ।

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्री न्यायमूर्ति भुवन गोयल

आदेश18/03/2024अवनीश झिंगन, जे (मौखिक)

1. यह याचिका दिनांक 23.03.2018 के कुर्की नोटिस को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता होटल व्यवसाय में है और एक मैरिज गार्डन चला रहा है। यह दलील दी गई है कि *शहरी विकास कर* वर्ष 2017 तक नियमित रूप से जमा किया जा रहा था। दिनांक 01.04.2007 से 31.03.2017 की अवधि के लिए देय *शहरी विकास कर* के 43,07,413/- रुपये की वसूली के लिए विवादित नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 11.12.2017 को दायर की गई आपत्तियों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए वर्तमान रिट दायर की गई है।
3. दिनांक 03.04.2018 को नोटिस जारी करते समय, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के परिसर के भौतिक कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका गया था और 20,00,000/- रुपये जमा करने के अधीन, सील हटाने के निर्देश जारी किए गए थे।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि न्यायालय द्वारा निर्देशित राशि जमा कर दी गई थी। उनका तर्क है कि मांग बनाने का कोई आदेश नहीं है, फिर भी कुर्की की कार्यवाही शुरू की गई। शिकायत यह है कि उठाई गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया है।
5. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता विवादित नोटिस का बचाव करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि वर्ष 2007 से 2017 तक *शहरी विकास कर* की देय राशि थी, इसलिए वसूली की कार्यवाही शुरू की गई थी।
6. इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि वसूली की कार्यवाही मांग के निर्माण के बाद ही की जानी है।

7. यह याचिका 2018 से लंबित है और याचिकाकर्ता के पक्ष में एक अंतरिम सुरक्षा है।
8. याचिका को इन निर्देशों के साथ निपटाया जाता है कि याचिकाकर्ता तीन सप्ताह के भीतर शहरी विकास कर के मूल्यांकन से आपत्तियों के साथ संपर्क करेगा और मूल्यांकन आगे की वसूली की कार्यवाही शुरू करने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद कानून के अनुसार आपत्तियों पर निर्णय लेगा।
9. चूंकि कर वर्ष 2007 से संबंधित है, इसलिए मूल्यांकन आपत्तियों की प्राप्ति से तीन महीने के भीतर मामले का निर्णय करने का प्रयास करेगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आज से तीन सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता द्वारा आपत्तियां दाखिल करने और मूल्यांकन के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहने पर, अंतरिम सुरक्षा रद्द हो जाएगी।

(भुवन गोयल), न्यायाधीश

(अवनीश झिंगन), न्यायाधीश

अनु/चंदन/36

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़